सामान्य बजट
संख्या 692 /I/2006-05/36/06

प्रेषक,

डॉ0 एम0सी0 जोशी,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0,
देहरादून।

ऊर्जा विभाग,

देहरादूनः दिनांक 03 जून 2006

विषयः– वित्तीय वर्ष 2006–07 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत REC से प्राप्त ऋण की प्रत्याशा में सीमित अवधि हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 552/उपाकालि/अ0एवंप्र0नि0, दिनांक 15–4–2006 एवं वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या 908/XXVII(1)/2006, दिनांक 24.04.2006 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आर.ई.सी. से गत वर्ष में केवल 04 जनपदों की योजना स्वीकृत हो पाई है तथा शेष 09 जनपदों की स्वीकृति की प्रत्याशा में प्रस्ताव आर.ई.सी. स्तर पर लम्बित है। स्वीकृत 04 योजनाओं में भी पूर्ण धनराशि नहीं मिल पाई है, जबकि राज्य सरकार ने यूपीसीएल से अपेक्षा की है कि वे सभी जनपदों में कार्य प्रारम्भ कर दें ताकि सभी जनपदों में समान रुप से एवं निर्धारित लक्ष्य के अनुरुप निर्धारित समय में कार्य पूर्ण हो सके, को मध्यनजर रखते हुए विशेष परिस्थितियों में वित्तीय वर्ष 2006–07 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत आर.ई.सी. से प्राप्त ऋण की प्रत्याशा में रु0 27,12,95,000/– (रु0 सत्ताईस करोड़ बारह लाख पिच्यानवे हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यय करने हेतु श्री राज्यपाल महोदय आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

1– ऋण के रुप में दी जा रही धनराशि 06 माह के लिए अथवा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत यूपीसीएल में प्राप्त होने वाली धनराशि आर.ई.सी. से प्राप्त होने तक, जो भी कम हो, की अवधि हेतु प्रदान की जा रही है।

2– आर.ई.सी. से राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत यूपीसीएल में प्राप्त होने वाली धनराशि में से सर्वप्रथम शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि की वापसी की जायेगी, क्योंकि आर.ई.सी. से धनराशि सीधे यूपीसीएल को मिलेगी और उत्तरांचल शासन के नामें चढ़ेगी।

.....2

3– सीमित अवधि तथा विशेष परिस्थिति के कारण ऋण ब्याज रहित होगा।

4– अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याणार्थ धनराशि अलग से अवमुक्त की जा रही है।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण बीजक पर अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 के हस्ताक्षर एवं जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर उपरान्त कोषागार में प्रस्तुत कर किया जायेगा।

6– स्वीकृत की जा रही धनराशि का उसी कार्य पर व्यय किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत की जा रही है ।

7– इसका उपयोग दिनांक 31.3.2007 तक करके उसकी सूचना राज्य सरकार व भारत सरकार को दे दी जायेगी ।

8– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या –21 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 6801–बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज–05–पारेषण एवं वितरण–आयोजनागत–190–सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों व अन्य उपक्रमों में निवेश–आयोजनागत 04–उत्तरांचल पावर कारपोरेशन को ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु आर0ई0सी0 से ऋण–(0104 से स्थानान्तरित)–00– 30–निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

2– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0–113/XXVII-2/2006 दिनांक 31मई, 2006 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

/

(डॉ0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव

संख्या:672/1/2006-05/36/06,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल ।
2– प्र0 सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु।
3– निजी सचिव, ऊर्जा राज्य मंत्री, उत्तरांचल शासन को मा0 राज्य मंत्री के संज्ञान में लाने हेतु।
4– निजी सचिव–मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के संज्ञान हेतु।
5– जिलाधिकारी, देहरादून।
6– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7– सचिव, उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग, उत्तरांचल, देहरादून।
8– सचिव, नियोजन विभाग।
9– वित्त अनुभाग–2
10– प्रभारी, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
11– बजट, राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12– गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(एम0एम0 सेमवाल)
अनु सचिव